INDIAN PENAL CODE (AMENDMENT)BILL*

(SUBSTITUTION OF SECTION 153 A)

SHRIMATI SUBHADRA JOSHI (Chandni Chowk) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code."

The motion was adopted.

SHRIMATI SUBHADRA JOSHI : I introduce the Bill.

15.35 hrs.

FREEDOM FIGHTERS (APPRECIATION OF SERVICES) BILL – *Contd.*

(BY PROF S. L. SAKSENA)

MR. DEPUTY-SPEAKER : The House will now take up further consideration of the Bill moved by Shri Shibban Lal Saksena. Altogether 4 hours and 30 minutes were allotted. We have taken 3 hours and 18 minutes and I hour and 22 minutes remain.

SHRI SAMAR GUHA (Contai) : There was a statement issued by the Home Ministry regarding certain allowances and other things to be paid to freedom fighters. Before we take up consideration of this Bill, it will be better if the Home Minister makes a statement about that. Then, it will be easier for us to consider the whole thing.

MR. DEPUTY-SPEAKER : We are already in the stage of consideration. The Minister will reply to the debate. At that time if he comes forward with some statement, he is welcome.

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष, महोदय, आज जब सब दलों ने मिल कर एक बात कही कि स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों का आदर करना चाहिये तब पच्चीस साल के बाद इस सरकार ने एक योजना निकाली। सब पार्टियों ने मिल कर कहा कि उन का आदर तो करना ही चाहिये साथ ही उन को कुछ आनरेरियम भी मिलना चाहिये। लेकिन इतने दिन तक कहने के बाद अब मंत्री महोदय ने यह योजना निकाली है कि।

"The Government of India will implement from 15th August, 1972 the scheme for grant of pension in deserving cases to those freedom fighters who had suffered imprisonment in jail for six months."

इसका मतलब यह हुआ कि जो छः महीने से एक दिन भी कम की सजा में जेल गया हो उस को यह पेंशन नही मिलेगी। मैं इस बात को बिल्कुल समझ नही सका कि सरकार की इस बारे में क्या नीति है। यह किसको पेंशन देना चाहती है और किस को नही देना चाहती। फिर स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों का आदर करना तो अलग रहा, सरकार ने उन के लिये पेंशन शब्द का उपयोग किया है। हम ने बार बार कहा कि सरकार इस शब्द को वापस ले, लेकिन उस के बाद भी उस ने यही कहा कि उन लोगों को पेंशन दी जाती है। मैं समझता हूँ कि उन को जो कुछ भी दिया जाये उसको आनरेरियम कहना चाहिये और स्वतन्त्रता सेनानियों का आदर-सम्मान करना चाहिये। उन की तो आरती उतारनी चाहिये थी, लेकिन आज आरती उन लोगों की उतारी जाती है जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं।

---

*Published in Gazette of India Extraordinary part, II, section, dated 17-3-72.

आज स्वतन्त्रता के पच्चीस साल के बाद कहा गया कि एक बिल आना चाहिये, एक कानून बनाया जाना चाहिये जिस के द्वारा हम उन स्वतन्त्रता सेनानियों का, जिन के कारण हम यहाँ पर पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, आदर किया जाये। लेकिन सरकार ने ऐसी योजना बनाई है कि जिस ने छः महीने की जेल की सजा पा ली हो कम से कम उस को ही पेंशन दी जायेगी। अगर एक दिन भी कम होगा तो नहीं मिलेगी। अगर किसी का हाथ कट गया हो या कोई खंडित हो गया हो, किसी ने कालेज की पढ़ाई छोड़ दी हो, या जिन्दगी के बेशकीमती दिन आजादी की लड़ाई में बिता दिये हों या नौकरी छोड़ दी हो, उस के लिये क्या होगा ? सरकार अपनी ने तरफ से यह निकाला कि :

> The familis of martyrs who gave their lives for freedom"

दूसरी बात सरकार ने यह निकाली कि जिसने अपनी जिन्दगी देश के लिये कुर्बान कर दी हो उस को दी जायेगी। आप ने उन के लिये लिखा कि :

> "The total amount of pension sanctioned to a freedom fighter will not be less than Rs. 200 per month and in the case of families will vary from Rs. 100 to Rs. 200."

सभी पार्टियों ने बार बार कहा था कि आप मेहरबानी कर के उस बात को कीजिये जिस के लिये हम आज पच्चीस साल से कहते आये हैं। हम को स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों का सम्मान करना चाहिये, उन का आदर करना चाहिये, उन की हिस्ट्री बननी चाहिये।

आप ने 15 अगस्त, 1972 से यह योजना निकाली है। जिस ने छः महीने की सजा पाई हो या जिसने उससे ऊपर की सजा पाई हो या चाहे किसी ने अपनी जिन्दगी भी दे दी हो, वही लोग इस स्कीम के लाभ उठा सकते हैं, उससे कम सजा पाने वाले नहीं, या उनके परिवार के लोग नहीं।

फिर आप कहते हैं :

> "Only one member of the family of freedom fighter/martyr will be eligible for this pension."

हमने कहा कि बिल बनना चाहिये। लेकिन आपने स्कीम बनाई और उस में आपने यह रखा कि केवल एक मैम्बर एलिजिबल होगा। जिस ने अपनी जिन्दगी कुर्बान कर दी देश के लिए, जिस ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, बेशकीमती जिन्दगी के दिन देश सेवा में लगा दिये, कालेज छोड़ दिए और अगर वे कालेजों में पढ़ते रहते तो अपने जीवन को अच्छा बना सकते थे, उनके लिए आपने पच्चीस साल के बाद एक स्कीम बनाई और स्कीम भी यह कि सौ से दो सौ रुपये पेंशन उनको मिले, मार्टर की फैमिली को मिले। अब आप देखें कि पाँच या सात आदमियों की फैमिली हो तो क्या सौ रुपये में उसका गुजारा चल सकता है। कई स्टेट्स में जमीनों का उन में आवंटन किया गया। कहीं पर आनरेरियम दिया गया। मैं जानना चाहता हूँ कि जिन स्टेट्स में जमीन उनको नहीं दी गई वहाँ भी क्या उनको जमीन दी जाएगी। जिन आजादी के दीवानों ने देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानियाँ दीं उनको आज आप जो इनाम देने जा रहे हैं, उस पर लोग हँसेंगे यह देख कर कि गृह विभाग या किसी दूसरे विभाग ने वे पहले तो पच्चीस साल के बाद एक योजना बनाई है और उस में भी यह कहा है कि सौ रुपये से दो सौ रुपये तक तो देंगे जब उसकी हालत को जांच कर लेंगे और हमारी नौकरशाही ही यह जाँच करेगी कि उसकी या उसके परिवार वालों की हालत अच्छी है या खराब है। उन लोगों का इतिहास बनता, उनकी हिस्ट्री बनती तो उसका स्वागत होता। फिर आपने पेंशन शब्द इस में रख दिया है। इसको आप हटा दें।

[श्री मूल चन्द डागा]

जो बिल सक्सेना जी ने पेश किया है पार्लियामेंट के सब मेम्बरों ने कहा है कि इसको सिलैक्ट कमेटी के पास भेज दिया जाए लेकिन कानूनी अड़चनों के कारण ऐसा नहीं हो सका। हमने कहा कि गवर्नमैंट की तरफ से एक लैजिस्लेशन आए, वह भी नही हुआ । अब सक्सेना जी ने अपनी एमेंडमेंट्स पेश की है। उनमें की बातें उन्होंने बताई हैं।

"Freedom struggle of Goa freedom fighters or of freedom fighters of any former foreign possession of India;"

मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपकी स्कीम उन पर भी लागू होगी जिन्होंने गोआ की आजादी की लड़ाई में भाग लिया था ?

"freedom struggle of persons in areas now forming part of Pakistan, if these persons are now citizens of India;

freedom struggle of the INA under leadership of Netaji Subhash Chandra Bose, and other struggles by Indian Revolutionaries outside India for the freedom of India" :

मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने अपनी डैफीनीशन क्या बनाई है स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की ....

एक माननीय सदस्य : हिन्दुस्तान के बाहर हो तो वह नहीं।

श्री मूल चंद डागा :

"any other struggle by the Indian people which helped the achievement of Freedom by India."

ये सब लोग उस में क्यों नहीं लिये जाते हैं, वह समझ में नहीं आता है। फिर आप देना क्या चाहते हैं ? जिन्होंने सारा कारोबार, सारी प्रापर्टी देश की खातिर न्यौछावर कर दी या उनकी प्रापर्टी जब्त कर ली गई उनको आप सौ दो सौ रुपया ही देना चाहते हैं। जिन के घर में कोई कमाने वाला नहीं है, जिनके पास कोई साधन नही है उन को हम यही कुछ देना चाहते है। क्या इससे उनका गुजारा चल सकता है ?

मैं अन्त में यही कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के लिए लैजिस्लेशन आपको लाना चाहिये और उनको सम्मान देना चाहिये। साथ ही साथ पेंशन शब्द जो आपने रखा है, यह नही रहना चाहिये।

श्री राम चन्द्र विकल (बागपत) : सक्सेना जी ने जो विधेयक स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के संबंध में प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करने के लिए मैं खडा हुआ हूँ। मै सक्सेना जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को इस विधेयक के द्वारा हमें याद दिलाने की कोशिश की है। यह दुख का विषय जरूर है कि स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को इस देश में जो दर्जा मिलना चाहिये था, उनको जो सम्मान मिलना चाहिये था, वह दर्जा और वह सम्मान उनको नहीं दिया गया है। इसमें बहुत ही कोताही की गई है। उनको जो थोड़ी बहुत सहायता भी दी गई है, उससे ऐसा लगता है, ऐसी मनोवृत्ति झलकती है, जैसे उनका आदर करने के लिए नहीं बल्कि उनको कोई भीख दी जा रही हो। यह जो मनोवृत्ति है, इसको भी बदला जाना चाहिये। इस तरह से उनकी सहायता की जानी चाहिये ताकि उसमें से आदर की झलक आए।

मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को कुचलने की कोशिश की, अनेक कांग्रेस के स्वतंत्रता सेनानियों को पिटवाया, मरवाया, बन्द करवाया, वे आज बड़े आदर और सम्मान के पदों पर आसीन

हैं, केन्द्र और राज्यों—दोनों ही जगहों पर ये अवसरवादी लोग हैं। इनको हमेशा ही बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। स्वतंत्रता सैनिकों के मुकाबले में इनको ज्यादा महत्व दिया गया है। ये वे लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों के जमाने में राय बहादुरी आदि के खिताब पाए और तब भी बड़े-बड़े पदों पर आसीन थे। उससे भी बड़े पद इस सरकार ने उनको दिये हैं। ये लोग इन पदों को पाकर बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हम को आज भी जो अशोक चक्र या पद्म विभूषण आदि पदक दिये जा रहे है यह इस सरकार से ही हमें नहीं मिले, बल्कि अंग्रेज सरकार से भी हम को इस तरह के पदों से विभूषित किया गया था। तब भी हमें ही सरकार ये सम्मान देती थी और आज की यह सरकार भी हमें ही देती है। यह हमारी काबलियत की वजह से है।

देश के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की वजह से ही आज यह देश आजाद हुआ है, उनके बलिदानों की वजह से आज ही हम आजाद हैं। अनेक विद्यार्थियों ने अपना अध्ययन कार्य छोड़ दिया था और वे आजादी की लड़ाई में कूद पड़े थे। अनेकों ने जेलों की हवा खाई, अनेक फांसी के तख्तों पर झूले। उनके परिवारों को आज हमें बहुत सम्मान देना चाहिये था, आर्थिक तौर पर हमें उनकी मदद करनी चाहिये थी। हम उनका तथा उनके परिवारों का अनेक तरह से सम्मान कर सकते थे। उनके स्टेचू हम बना सकते थे, पदक उनको दिये जा सकते थे, उनके नाम पर मेले लगवाए जा सकते थे, आर्थिक साधन उनके लिए मुहैया किये जा सकते थे। श्री डांगा ने बताया है कि आई० एन० ए० के लोग हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान इस आजादी की लड़ाई में रहा है, उन्होंने भी बड़े बलिदान दिये हैं, फिर चाहे वे फरारी की हालत में ही क्यों न रहे हों। उनका इतिहास बहुत पुराना नहीं है। वे चाहे जेल न जा सके हों लेकिन फरारी की हालत में वे रहे। लेकिन हम उनकी कहानियां और उनका जीवन परिचय दूसरों के साथ-साथ आज तक नहीं निकलवा सके। मैं समझता हूँ कि चाहे कोई फरार रहा हो, जेल गया हो या और किसी तरह से उसने यातना सही हो, उन सब की लिस्ट बनाकर हमें उनकी आर्थिक सहायता करनी चाहिये।

जिसको 1857 का गदर कहा जाता है, मैं समझता हूँ कि वह स्वतंत्रता संग्राम की बुनियाद थी। उस गदर में जिन लोगों ने भाग लिया बहुत आसानी से उनके परिवारों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उसमें चन्द गिने-चुने परिवार, जिनमें झांसी की रानी भी हो सकती हैं, मंगल पांडे भी हो सकते हैं, देश के दूसरे लोग भी हो सकते हैं, जो जाने माने हैं और उनके अलावा और भी बहुत से लोग थे जिनको सब नहीं जानते हैं। 1857 से जो संग्राम हुआ उसको अंग्रेजों ने गदर की संज्ञा दी थी लेकिन वास्तव में वह स्वतंत्रता संग्राम था। उस संग्राम के सेनानियों को हम सम्मानित नहीं कर सके हैं। हमारे यहां मेरठ से वह, जिसको गदर कहा जाता है, शुरू हुआ था। पांचली गाँव मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है। वहां पर 85 लोगों को फांसी दी गई है। वे जिन्दा नहीं हैं। लेकिन उनके परिवारों के लोगों का हम जाकर सम्मान कर सकते थे, उनको सम्मान दे सकते थे। लेकिन हम उनको भी याद नहीं करते हैं। मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूँ कि अगर देश में बलिदानों की परम्परा, देश के आर्थिक विकास और देश की स्वतंत्रता को कायम रखना है, तो फिर हमें उन बलिदानी लोगों के परिवारों को हर तरह से सम्मानित करना चाहिए, चाहे वह भगतसिंह का परिवार हो, सुभाषचन्द्र बोस का परिवार हो, बी० के० दत्त का परिवार हो, चाहे किसी भी स्वतंत्रता सेनानी का परिवार हो। अगर उनके सामने कुछ आर्थिक कठिनाइयां हैं, तो उनको दूर किया जाना चाहिए। मुझे देखने को मिला है कि नैनीताल में सरदार भगतसिंह की बूढ़ी मां किस तरह परेशान फिर

[श्री मूल चन्द डागा]

रही थी। स्वतंत्रता-सग्राम के सेनानियों को सम्मानित करने मे हमारे देश मे बलिदान की परम्परा कायम रहेगी। अगर हमने उनको सम्मान नही दिया, तो देश मे बलिदान की परम्परा खत्म हो जायेगी। वह देश गुलाम हो जाता है, जिस देश मे बलिदानो का आदर नही होता है, जिस देश मे बलिदान की भावना कुचल दी जाती है। हमे अपने देश मे वह भावना कायम रखनी चाहिए। इसलिए यह जरूरी है कि 1857 से लेकर आज तक जितने भी स्वतंत्रता-संग्राम के सैनिक रहे है, उन सबको साधन और सम्मान देकर आगे बढाया जाये।

भविष्य मे स्वतत्रता-सग्राम के सैनिको के कारनामों की याद बनाये रखने के लिए एक इतिहास तैयार किया जाना चाहिये, शताब्दियाँ मनाई जानी चाहिए और अन्य उचित पग उठाने चाहिए। केन्द्रीय सरकार का सूचना विभाग खास तौर से स्वतत्रता-सग्राम के सैनिको का एक इतिहास बनाये। वह इतिहास हमारे स्कूलो के कोर्स मे रखा जाये और हमारे स्वतंत्रता-संग्राम के वीर सैनिको की गाथायें हमारे बच्चो को पढाई जाये। इससे हमारे बच्चो मे उच्च सस्कार पैदा होगे और वे देश की रक्षा के लिए तैयार होगे।

MR. DEPUTY-SPEAKER : We have had quite a long discussion on the subject and Members perhaps are anxious to know what the Government has to say on this But even so, a number of Members have sent me slips and they have indicated their desire to speak. I can accommodate all of them if they confine themselves to five minutes each. If they make long speeches, then it would become difficult. Shri Dhusia.

श्री अनंत प्रसाद धूसिया (बस्ती) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ कि आपने मुझे समय दिया। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि श्री शिब्बनलाल सक्सेना ने यह बिल सदन के सामने रखा है। मैं स्वय एक पौलीटिकल सफरर रहा हूँ। जब मै अपने ऊपर और अपनी फैमिली के ऊपर किये गये अत्याचारों को याद करता हूँ, तो मैं अपने आप मे नही रह पाता हूँ। मै सिर्फ एक ही मिसाल देता हूँ।

मेरे घर मे दो व्यक्ति—मै और मेरा छोटा भाई—पकडे गये। उस वक्त मेरी शादी हुई थी और मेरी शादी के कपडे और जेवर मेरे सामने पुलिस वालो ने लूटे। जहाँ तक मेरी स्त्री का संबध है, शी वाज बीटिन आन हर बट्टक्स बिद केन। इसके साथ-साथ मेरे घर मे आग भी लगा दी गई। जब मै इन बातो को सोचता हूँ, तो यह कहते हुए मुझे बडी शर्म आती है कि जो "पेशन" शब्द हम लोगो के लिए इस्तैमाल किया जाता है, वह कितना सार्थक है।

15-54 hrs.

[SHRI K. N TIWARI *in the Chair*]

इतना ही नही, मेरे लिए तो यह आर्डर था कि मुझे साइट पर ही शाट डैड कर दिया जाये। मेरे पिता ने मुझ से कहा कि बेटा, तुम भाग जाओ। मैने कुछ दिनों के लिए हिन्दुस्तान छोड़ दिया। उस वक्त जाड़े के दिन थे, कड़ाके की सर्दी थी और मेरे पास सिवाय एक कुर्ते और धोती के कुछ नही था। मैं एक कम्बल ले कर भागा था। उस वक्त मे गवर्नमेंट सर्विस मे था। मैं एजूकेशन आफिसर था।

इस वक्त मैं इन बातों को याद करता हूँ, तो मेरे हृदय मे बड़ा विद्रोह सा होता है। मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट मे देखा है कि किस तरह से मेरे साथी ने पोलीटिकल सफरर का सार्टिफिकेट लेने के लिए तहसीलदार, नायब-तहसीलदार और डिप्टी कलेक्टर वगैरह के पास जाते थे। क्या उन लोगों ने स्वराज्य इसीलिए दिलाया? श्री पन्त के पिता उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर

थे। उनको इन बातों की कद्र थी। मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि यहां पर दि थिंग इज़ जस्ट दि रिवर्स। मुझे यह कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में इन लोगों के लिए कुछ भी नही किया गया है। किसी को दस रुपये पेन्शन दी गई है और किसी को बीस रुपये। यह क्या है? क्या यह बैगिंग नही है? किन लोगों ने हम सब को यहां पर ला कर बिठाया है? किसके बल पर हम यहां आये हैं? किसके बल पर यह गवर्नमेंट बनी है?

जिन लोगों ने खून बहाया, दरअसल उनकी कोई पूछ नही है। अगर पूछ हुई भी, तो इतनी कम कि उस को सिवाये बैगिंग के और कुछ नही कहना चाहिए। "पेन्शन" शब्द को तो हटा देना चाहिए। मैं श्री पन्त से अपील करूंगा कि वह हर एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को यह डायरेक्शन दें कि वे खुद उन लोगों के घरों में जाकर सब डीटेल्ज लेकर गवर्नमेंट को दें। अगर यह नही होता है, तो मैं यही कहूँगा कि पहले की गवर्नमेंट में जो ब्यूरोक्रेसी थी, बिल्कुल उस का रिपिटीशन हो रहा है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य ने कहा हैं कि वे लोग पोलीटिकल सफरर होने का सार्टिफिकेट लेने के लिए अफसरों के पास घूमते हैं। अगर यह न हों, तो गवर्नमेंट को कैसे यह मालूम हो कि ये लोग पोलीटिकल सफरर थे, इस बारे में आप का क्या सुझाव है?

श्री अनंत प्रसाद धूसिया : इसके लिए डिस्ट्रिक्ट अथारिटीज़ को खुद, या उनके रिप्रेजेंटेटिव को, उनके पास जाना चाहिए।

श्री मुल्की राज सैनी (देहरादून) : यू० पी० गवर्नमेंट ने कह दिया है कि अगर कोई दो एम० पीज़०, दो एम० एल० एज़० या दो पेन्शनर्ज़ का सर्टिफिकेट दे दे, तो उसको पोलीटिकल सफरर मान लिया जायेगा।

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : I would assure you that I have been issuing such certificates and the district magistrate will believe any certificate given by two M.L.As. or by the M.Ps. to the effect that the person has undergone imprisonment for more than *six months*.

श्री अनंत प्रसाद धूसिया : जिन लोगों के बल पर भारतवर्ष में इतना बड़ा चेंज हुआ, उन की जो उपेक्षा हुई है, संसार के किसी मुल्क मे ऐसे लोगों की इतनी उपेक्षा नही हुई है। रशा, पोलेंड, स्विट्ज़रलैंड और अन्य देशों का केस देखिये। छोड़िये दूसरे देशों को। बंगला देश मे क्या हो रहा है? दोज़ पोलीटिकल फाइटर्ज आर बिइंग रेसपेक्टिड लाइक गाड्ज़। यहाँ पर उन लोगो को ऐसे रिजेक्ट किया गया है, जिसका कोई हिसाब नही है।

श्री पन्त एक ऐसी फैमिली के आदमी है, जिसकी बड़ी अच्छी परम्परा रही है, जिसने राजनीति में भी अच्छा हिस्सा लिया है। इस लिए उस पर पूरा ध्यान दिया जाय और जैसा कि मैंने कहा है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट खुद जाकर या अपनी एजेंसी के द्वारा उन पोलिटिकल सफरर्स को कान्टैक्ट करे, उनसे पूरे डीटेल्स लेकर उनको सर्टिफिकेट दे और यह पेंशन शब्द हटा कर उनको आनरेरिया दे।

16 hrs.

डा० कैलास (बम्बई दक्षिण) : माननीय सभापति जी, मै श्री शिम्बन लाल जी सक्सैना के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मुझे वह बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आज की राष्ट्रीय सरकार को भी कुछ बातों की याद दिलानी पड़ती है। अभी उपाध्यक्ष महोदय ने बताया कि इस प्रस्ताव पर करीब साढ़े तीन घंटे बहस हो चुकी है और एक घंटा 20 मिनट और बहस जारी रहेगी। इस सम्मनानीय सदन में हर पार्टी के सभासदों ने शिम्बन लाल जी के इस प्रस्ताव का समर्थन किया है।

[डा० कैलाश]

लेकिन फिर भी हमारे प्रिय और कुशल मत्री श्री पत जी शायद उन सबकी वाणी से नही हिल पाए हैं, तो मैं नही जानता हमे उनको क्या कहना पडेगा। अभी पाक- हिन्दुस्तान युद्ध हुआ। उस इतिहास की स्याही सूखने भी नही पाई थी कि इदिरा गाधी जी ने और श्री पंत जी ने या यो कहिए मत्रि-मंडल ने उन सेनानियो के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि उन्हे पूरी तनख्वाह मिलती रहेगी, पूरी पेंशन मिलती रहेगी। लो अपंग हुए है उनका हम यह सम्मान करेगे, वह सम्मान करेगे। सारा देश उल्लास से भर गया कि यह मत्रिमंडल कुछ राष्ट्रीय भावनाओ से जाग्रत मत्रिमडल है और वह कदम उठाना जानता है जो कदम सामान्य जनता को प्रिय हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं उन सेनानियो की जिन सेनानियो की वजह से हम आज यहाँ बैठे है, भारतवर्ष एक स्वतंत्र देश कहलाता है, उनके लिए कुछ भी नही किया गया। महाराष्ट्र ने कुछ किया, उत्तर प्रदेश ने कुछ किया, लेकिन किस प्रकार किया? दबाव के कारण किया। कही दस रुपये महीने पेंशन दी जाती है और पेशन के रूप मे दी जाती है, कही 20 रु०, कही सौ रुपये, कही दो सौ रुपये। क्या यह सरकार इस प्रकार का एक बिल नही ला सकती कि जो सारे हिन्दुस्तान मे लागू हो? एक यूनिफार्मिटी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश कही जा रहा है, केरल कही जाता ही नही है, डी० एम० के० कही पार्ट लेगी कि नही लेगी? मैं किसी पर टीका-टिप्पणी नही कर रहा हूँ। यह राष्ट्रीय भावना की बात है, राष्ट्रीयता को भरने की बात है। हम देश में कह रहे हैं कि हमने इतना भौतिक निर्माण किया। भौतिक निर्माण अवश्य हुआ है लेकिन-चरित्र निर्माण का ह्रास हुआ है। और ह्रास इसलिए हुआ है कि हमने उन व्यक्तियो को भुला दिया। हमने उदाहरण इस प्रकार के नहीं रखे आपने नवयुवको के सामने कि देश को जाग्रत करने के लिए मानव-बलि चाहिए, आहुति चाहिए। मानव कब पैदा होते है? या तो हर समय ऐसे व्यक्ति पैदा हो देश मे या उन का इतिहास इस प्रकार लिखा जाय जो हमारे नवयुवको के सामने पढने को मिले। वह नही हो पा रहा है। इन्फार्मेशन एड ब्राडकास्टिग मिनिस्ट्री क्या कर रही है, मालूम नही। मेरे से पूर्व वक्ता का कठ भर आया था बोलते-बोलते। मैं भी उसी श्रेणी मे हूँ। मेरा कंठ नही भरता। सन् 42 मे मैं भी क्रान्तिकारियो के साथ था। सन् 1930 मे दिल्ली कासपिरेसी केस मे भगत सिह के साथ मुझे भी बुलाया गया था और 1942 मे मैं भी क्रान्तिकारी के रूप मे पकडा गया था। मैंने कभी सर्टिफिकेट की आशा नही की। मुझमे बुद्धि थी, कौशल था, कुछ व्यक्तित्व था, तो मै आगे आ सका। लेकिन क्या यह ठीक लगता है कि इस प्रकार की सरकार को याद दिलानी पडे? हम ने यह कोशिश की कि अगर सरकार भुलती है, अगर इन्फार्मेशन एण्ड ब्राड-कास्टिग मिनिस्ट्री भूलती है तो 21 तारीख को सुबह 9 बजे इदिरा गाधी जी एक पुस्तक का प्रकाशन करने जा रही है जिसमे सभापति जी, आप का भी चित्र है, आप की भी जीवन-गाथा है कि आपने किस प्रकार निकोबार आईलेंड मे अपना जीवन व्यतीत किया, और उसका नाम हमने रखा है 'क्रान्तिकारी प्रेरणा के स्रोत।" यह इसका पहला भाग है। इसमे 43-44 व्यक्तियो के जीवन चरित्र दिए है और उनके चित्र दिए है। और हम हर कालेज, हर स्कूल के नवी, दसवी और ग्यारहवी कक्षा के छात्रो तक उसे पहुँचाना चाहेगे। वह लडके और लडकियाँ पढ़ें और जाने कि उन्हे अपने चरित्र का भी निर्माण करना है। भौतिक निर्माण के साथ-साथ चरित्र-निर्माण भी इस देश मे होना चाहिए। हम ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ बोलते रहते है। हमारे भाई ब्यूरोक्रेसी मे हैं, हमारा भतीजा ब्यूरोक्रेसी मैं हो सकता है। क्यो उसका चरित्र

निर्माण नहीं हो पाया ? कारण यही है कि हम ने सारा ध्यान पैसे पर रखा है। हर काम पैसे से किया जा रहा है। और आज वही पैसे की बात राष्ट्रीय सरकार कर रही है। माननीय डागा जी ने ठीक कहा कि "पेंशन" शब्द लिख करके आपने हमारे सैनानियों को सम्मान-विहीन कर दिया, उन व्यक्तियों के सम्मान में क्या आप और कोई शब्द पेंशन हटा कर नहीं लिख सकते ? आपको आनरैरियम बोलना चाहिए था। आप सौ दो सौ रुपये की बात करते हैं। अगर आपके पास आंकड़े हों तो बताने की कृपा करेंगे मैं नहीं समझता कि 200 से ज्यादा व्यक्ति ऐसे होंगे जिनको आनरैरियम आपको देना पड़ सकता है। उसमें कितना रुपया आपका खर्च होगा ? आप ने राजा-महाराजाओं को खत्म किया है, उससे जो रुपया बचता है, उस का हजारवां भाग भी शायद इनको देना नहीं पड़ेगा। तो पैसे की बात, सौ दो सौ रुपयों की बात करना और उनको पेंशन का नाम देना, यह भी बिलकुल गलत बात हो रही है। सुझाव ठीक है कि एम०पी० अगर लिखदें या दो एम० एल० ए० लिख दें कि स्वतंत्रता सैनानी है, तो वह काफी होना चाहिए, लेकिन उस के लिए कलेक्टर के पास दौड़ना, मिनिस्टर के पास जा कर बैठना, होम मिनिस्टर के पास जा कर बैठना, और सर्टिफिकेट प्राप्त करना, यह असम्माननीय बात नही होनी चाहिए।

इसलिए मेरी यही प्रार्थना है कि पंत जी जब उत्तर देंगे तो कृपा करके सक्सैना साहब अपना प्रस्ताव वापस ले लें तो बड़ी अच्छी बात होगी क्योंकि पंत जी आश्वासन देंगे कि कंसालिडेटेड बिल यहां पर आएगा और वह सारे देश में लागू होगा। हम स्वतंत्रता की रजत जयंती, पच्चीसवां वर्ष मनाने जा रहे हैं। इस वर्ष में इतिहास बनाना चाहिए था और वह इतिहास इसी प्रकार बन सकता है जब कि हम सारे स्वतंत्रता सैनानियों को एक दिन दिल्ली में बुला कर उनका सम्मान करें तथा उनको जीवनी पुस्तिका भेंट दें। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं एक सुझाव और देना चाहता था। हमारे देश में जिस प्रकार स्वतंत्रता के पहले राय साहब, खान बहादुर और राय बहादुर का खिताब मिला करता था उसी तरह हमने प्रथा शुरू की है पद्म विभूषण और पद्म श्री की। पंत जी बताने की कृपा करेंगे कि कितने हमारे क्रान्तिकारी भाई और बहनें हैं जिन को आपने यह खिताब देने की कृपा की है ?

एक माननीय सदस्य : उनको बेइज्जत करेंगे देकर ?

डा० कैलास : हां, ठीक बात कही क्यों कि यह आज उन को दी जा रही है जिन की सिफारिश पंत जी तक पहुँचेगी। मैं बदनाम करने के लिए नही कह रहा हूँ। मैं ने तो दो नाम दिए थे। उनका नम्बर भी नहीं आया। लेकिन जिस प्रकार से राय बहादुर और खान बहादुर के खिताब पहले पैसे लुटाने से मिला करते थे वैसे आज यह सिफारिश से मिल रहे हैं। मेरा सुझाव है कि कृपा करके अगले 26 जनवरी के दिन स्वय अपने आप बिना किसी सिफारिश के जो व्यक्ति आज जिन्दा हैं, जैसे आज हमारे सभापति जी बैठे हुए हैं, माफ करेंगे, वह इस समय आसन पर बैठे हुए हैं, सब को खिताब देने की कृपा करेंगे। क्या उन को कभी सम्मान किसी प्रकार का दिया गया और यही नहीं ऐसे सेनानियों को शायद कांग्रेस चुनाव टिकट भी कैसे देते हैं, मैं जानता नहीं, शायद कोशिश करनी पड़ती है। मैं तो अगर बिहार में होता तो वहां के सेनानियों से प्रार्थना करता और उनका आभार मानता कि आप लोगों ने इतनी कृपा की कि आप स्वतंत्रता के लिए सेनानी बने, अब आप देश के नव-निर्माण के लिए आगे बढ़ें। आज यह प्रथा होनी चाहिए कि जो कांग्रेस के टिकट के लायक हैं, उनको प्रार्थना करके टिकट दिया जाना चाहिए और उन को

[डा० कैलाश]

लाना चाहिये, उनको यह सम्मान देना आवश्यक है। इस प्रकार की बातें होने लगेंगी तो जिस दृष्टिकोण को हम बदलना चाहते है—राष्ट्रीय दृष्टिकोण बनना चाहिए, चरित्र निर्माण का दृष्टिकोण बनना चाहिए—अगर इस तरह से हो सकेगा।

हमारे शिब्बन लाल जी भी बहुत बड़े सेनानी रहे हैं, आज वह हमारी पार्टी मे नही है, लेकिन हमारी पार्टी से कही ज्यादा ऊंचे है, इस लिये ऊंचे है कि वह जनता के लिये जीते है और जनता के लिये मरते है। उन्होने इस प्रस्ताव को यहां लाकर चर्चा का मौका दिया, अच्छा हो अगर इस प्रकार की चर्चा अखबारो में भी चल पड़े, तब शायद हमारी सरकार का ध्यान इस तरफ जाय, जिस तरह से आज के सैनानियों की तरफ जा रखा है, उसी प्रकार से पुराने सेनानियों की तरफ भी जायगा तथा देश के चरित्र का निर्माण होगा।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति महोदय, श्री शिब्बन लाल जी सक्सैना ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है मैं उसका जोरदार समर्थन करता हूँ। मुझे यह जान कर प्रसन्नता हुई कि सरकार इस संबंध में एक विस्तृत विधेयक इस सदन में पेश करने का विचार कर रही है। इस संबंध में मेरा सरकार से यही निवेदन है कि उस विधेयक को इसी सत्र में पेश किया जाय ताकि हमारे देश में जिन लोगों ने मातृभूमि की बलिबेदी पर कुरबानी की, जो स्वयं जिन्दा हैं या जिन के आश्रित आज बहुत बुरी अवस्था में जीवन व्यतीत कर रहे है, उन्हे ज्यादा से ज्यादा मदद शीघ्र दी जा सके। इस के लिए आवश्यक है कि इस तरह का विधेयक इसी सत्र में पेश किया जाय और पास करने के बाद उसे शीघ्र कार्यान्वित किया जाय।

सभापति महोदय, आप स्वयं भी स्वतन्त्रता सेनानियों में अग्रणी रहे हैं, आप तो अण्डमान की जेल मे भी रह चुके है। कुछ साल पहले अण्डमान की जेलो मे रहने वाले स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए पेंशन देने की व्यवस्था सरकार ने की थी, मेरा ख्याल है, उनमें से बहुत सारे स्वतन्त्रता सेनानी आज भी ऐसे है, जिन्हे पेंशन—पेंशन शब्द से कुछ माननीय सदस्यो को एतराज है—जीवन निर्वाह भत्ता नही दिया जा रहा है। मैं स्वय जानता हूँ—पटना के श्री श्याम कृष्ण अग्रवाल को सभापति जी, आप उन्हे अवश्य जानते होगे, उन्होने पेंशन के लिए एक आवेदन दिया, उनका बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बुरी हालत है, उनको कुछ आमदनी घर की भी है, उस आमदनी के आधार पर उनके आवेदन-पत्र को अस्वीकार करके उनके पास सूचना भेज दी गई। अगर स्वतन्त्रता सेनानियो की मदद करने का यही अर्थ है तो उससे कितने लोगो को फायदा होगा ?

सभापति जी, उन दिनो मै भी राष्ट्रीय आन्दोलन में आपके साथ था। हमारे साथ जेलो में रहने वाले दर्जनो ऐसे कार्यकर्त्ता है, जिनके पास आज न रहने का ठिकाना है और न खाने का ठिकाना है। उनके परिवार की बात तो पूछना ही व्यर्थ है। फिर भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है और जो लोग चलते-पुर्जे है, जिनका सम्पर्क बड़े मंत्रियों और अफसरों से है, उनका काम जरूर हो जाता है। लेकिन जो साधारण श्रेणी के है, गरीब हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नही है। इसलिए मै चाहूँगा कि उन्हे आर्थिक सहायता दी जाय और ऐसे लोगो के पुनर्वास की व्यवस्था भी की जाय। आज सरकार अनेकों कालोनियों का निर्माण कर रही है, आज ऐसे स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए कोई कालोनी क्यों नहीं बनाते हैं ताकि उनके रहने के लिए व्यवस्था हो जाय।

आप के शिक्षा विभाग ने एक ग्रन्थ उन लोगों के बारे में छापा है, जो लोग शहीद हो चुके हैं। 1857 से 1942 तक के लोगों का ग्रन्थ निकल चुका है। मैं चाहता हूँ कि तमाम स्वतन्त्रता सेनानियों के जीवन के सम्बन्ध में एक ग्रन्थ प्रकाशित किया जाय ताकि हमारे देश की जनता और खासतौर से जो नये नागरिक पैदा हो रहे हैं, स्कूलों और कालिजों में पढ़ने वाले नौजवान, वे उनसे शिक्षा ग्रहण कर सकें।

पाठ्य पुस्तकों के बारे में यहाँ पर ठीक ही कहा गया है कि हमारी पाठ्य-पुस्तकों में जो हमारे बड़े-बड़े स्वतन्त्रता सेनानी हुए हैं, भगत सिंह, आजाद, वगैरह, उनकी जीवनियाँ उसमें दी जायें, ताकि वे बच्चों को नया प्रोत्साहन भी दें और देश के प्रति उत्कट देश भक्ति की भावना भी जगायें। यह काम जरूर होना चाहिए। अगर इस तरह से आप कर सके तो उनकी बड़ी मदद होगी।

हमारा राष्ट्रीय कर्त्तव्य है कि हम इस तरह का काम शीघ्र से शीघ्र करें और तमाम लोगों को जहाँ तक सम्भव हो सहायता प्रदान करें और उनके अदम्य उत्साह और कुर्बानियों से अपने देश की जनता को अवगत करा सकें।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : सभापति महोदय, अभी ता० 15 को एक सवाल का जवाब देते हुए, जिसे मैंने और श्री संकटा प्रसाद जी ने किया था, श्री कृष्ण चन्द्र पंत ने कहा—

> "Whether a scheme for giving regular pension—अगर नाराज़गी हो तो पेन्शन वर्ड को आप एमण्ड कर सकते हैं—to all those who have taken active part during the country's freedom movement has been drawn;
>
> if so, what are the salient features of the scheme; and
>
> whether this is going to be a central-oriented scheme covering all States and Union Territories?"

उन्होंने जवाब मे कहा—

> "The Government of India have formulated a scheme for the grant of pension in deserving cases to those freedom fighters who had undergone imprisonment in the mainland jails for not less than six months and to their families if they are themselves no longer alive."

फिर उन्होंने कहा—

> "The total amount of pension to a freedom fighter will be not less than Rs. 200 per month and to members of the family of martyrs and of such freedom fighters as are dead the pension will vary between Rs. 100 and Rs. 200 per month."

इस सवाल का जवाब पा कर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं समझता हूँ कि श्री शिब्बन लाल जी सक्सैना ने भी इसको पढ़ा होगा और इससे उनको फैसला लेने मे काफी सहूलियत हो जायगी। मैं पंत जी से केवल एक बात पूछना चाहता हूँ—जो स्कीम सरकार लागू करने जा रही है, क्या उसके लिये किसी विधेयक की जरूरत होगी और यदि जरूरत है तो वह विधेयक कब तक आयेगा ?

दूसरा सवाल—सभापति जी, जिस तरह की कुर्बानियां आपने की हैं, आपकी कुर्बानियों की कहानी अपने मित्र विजय कुमार बनर्जी और दूसरों से मैंने सुनी हैं, वाकई मैं नतमस्तक होकर श्रृद्धा की नज़र से आप को देखता हूँ, क्योंकि वास्तव में आपने देश को आज़ाद कराया है, लेकिन दूसरी तरफ मुझे यह कहते हुए भी दुख होता है कि जिस तरह से पहले पेन्शन दी जाती थी, खास कर चन्द्र शेखर आज़ाद की माता जी को, वह बेचारी भूखी लेट जाती थीं, बहुत कहने-सुनने पर 20 रु० उनको

[श्री एस० एम० बनर्जी]

दिये गये थे और वह भी उन की मृत्यु से कुछ दिन पहले। इसी तरह से खुदी राम बोस के परिवार का हाल था, हम कैसे इस बात को भूल सकते है। भगत सिह, चन्द्र शेखर आजाद, बिस्मिल, खुदी राम बोस—इन लोगो की कुर्बानियाँ थीं, जिनकी कुर्बानियो से हमारे देश की आजादी काफी हद तक करीब आई, उन के परिवारों के लिये हमे अवश्य कुछ करना चाहिये।

एक बात कहने मे मुझे दुख होता है—जिस तरह से 14 दिनो की लड़ाई मे हम लोगो ने पाकिस्तान को शिकस्त दी, लेकिन मेरी आँखों से आँसू आ गये जब मैं भगत सिह की समाधि पर गया जो अब फिर पाकिस्तान के कब्जे मे चली गई है। आपको मालूम है जब मै और मेरे दोस्त श्री एस० एम० जोशी 1958-59 का चुनाव जीत कर आये थे, तो हम फीरोजपुर गये। वहाँ जब बार्डर पर जाकर हमने समाधि को देखा तो बहुत दुख हुआ। वह एक अजीब सी बनी हुई थी। भगतसिह राजगुरु और सुखदेव की उस समाधि को देख कर बहुत दुख हुआ कि यह ऐसी समाधि क्यो है। हमने पंजाब के मुख्य मंत्री को लिखा, नेहरु जी को पत्र लिखा और उसके बाद एक अच्छी समाधि बनी। आपको यह भी याद होगा कि रेडक्लिफ एवार्ड के अनुसार वह हिस्सा पाकिस्तान को मिलना था, लेकिन पाकिस्तान से समझौता करके उसको हमने अपनी सीमा मे ले लिया। वहाँ पर मेला लगता था, लोग वहाँ भगतसिह को याद करने जाते थे। लेकिन आज अगर वह पाकिस्तान के कब्जे मे है तो मै समझता हूँ जब हम तमाम चीजों मे पाकिस्तान को शिकस्त दे चुके है, भगतसिह, राजगुरु और सुखदेव की समाधि वास्तव मे पाकिस्तान के कब्जे मे है तो वह हमको लेना चाहिए। उसके लिए मे युद्ध की घोषणा नहीं करना चाहता बल्कि आई कम्प्रोमाइज कुछ होना चाहिए क्योंकि वह हमारे देश का हिस्सा है।

मेरा एक निवेदन और है। मैं जानता हूँ कि सेन्ट्रल हाल मे शायद उनकी तस्वीरें कभी भी नही लगेंगी जिन्होने बम का सहारा लिया था। क्यों सहारा लिया था? इस देश को आजाद करने के लिए। जिस पार्लमेन्ट के ऊपर जिसको उस समय लेजिस्लेटिव असेम्बली कहा जाता था। यहाँ बम का सहारा लिया गया था, वह गोरे साम्राज्यवाद को चेतावनी दी गई थी, उस पार्लमेन्ट के सामने भी भगतसिह की मूर्ति बन जाये तो देश का कोई नुकसान नही है। इसलिए मै कहता हूँ कि सेन्ट्रल हाल मे तो उनकी जगह नही क्योकि नानवायलेन्स को छोडकर उन्होने गोली का सहारा लिया था हालाकि यह सहारा भी कभी कभी देश की आजादी के लिए लेना पड़ता है। इसलिए मेरा निवेदन है, मेरा हार्दिक निवेदन है कि भगतसिह की स्टैच्यु पार्लमेन्ट के सामने जरूर हो। हमने काफी प्रयत्न करके डा० अम्बेदकर की स्टैच्यु यहाँ लगाई क्योकि वे हमारे सविधान को लिखने वाले मे और देश को उन पर श्रद्धा थी। उसी तरह से भगतसिह की स्टैच्यु भी यहाँ होनी चाहिए।

मार्टर्स के बारे मे, जिन्होने अपनी कुर्बानी दी थी, कहा गया कि मार्टर्स मेमोरियल लालकिले के सामने बनेगा। वह कब बनेगा मुझे मालूम नही लेकिन वह बनना चाहिए ताकि देश के लोगों को जानकारी हो सके। इस बार पहली मर्तबा 26 जनवरी को हमारे देश के छोटे-छोटे लड़कों ने समझा कि 26 जनवरी है क्या। पहले लोग समझते थे कि हवाई जहाज उड़ा करते हैं, टैंक चला करते हैं लेकिन इस बार जलियांवाला बाग में डायर के अत्याचारों को दिखाया गया और तमाम चीजें दिखाई गईं कि लोगों ने कैसे शहादत दी है। इस बार 26 जनवरी के

संयोजकों को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने छोटे-छोटे लड़कों के दिमाग में यह फीलिंग कराई कि रावी के किनारे हम लोगों ने क्या शपथ ग्रहण की थी।

इन शब्दों के साथ में इस बिल की ताईद करता हूँ और पंतजी से निवेदन करूंगा कि वे यहाँ पर ऐलान करें कि दूसरा बिल लाया जायेगा ताकि सक्सेना जी इस बिल को वापिस ले सकें।

श्री स्वामी ब्रह्मानन्दजी (हमीरपुर) : सभापति जी, सरकार कहती है कि स्वतंत्रता सेनानी होने का सर्टिफिकेट चाहिए लेकिन सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है ? अपने देश में अपने तमाम आदमी जोकि जेल गए हैं, जिन्होंने हिंसा के द्वारा काम किया है या अहिंसा के द्वारा क्या उनकी रिपोर्टें सरकार नहीं मँगा सकती है ? जब तमाम बदमाशों की रिपोर्ट आती है तो भले आदमियों की रिपोर्टें भी आ सकती हैं। सरकार एक बहाना बनाती रहती है। मैं आपको बताता हूँ कि महाराज पारीछत ने बुंदेलखण्ड के अन्दर अंग्रेजों से बगावत की थी और उनके सारे परिवार, महाराज पारीछत की स्त्री उनके बच्चों का आजतक पता नहीं कि वे कहाँ हैं। बानपुर (जिला झाँसी, उत्तर प्रदेश) के राजा अभी मेरे यहाँ पड़े हुए हैं। रानी को खुद पंतजी ने पाँच हजार रुपया उनकी दो लड़कियों की शादी के लिए दिया था। बानपुर के राजा कौन हैं ? बानपुर के राजा वह हैं जिन्होंने लक्ष्मीबाई के पहले बगावत की थी और अंग्रेज जनरल को मारकर दूरबीन छीनी थी जोकि जवाहरलाल जी को भेंट की गई थी। आज वह मेरे कमरे में पड़े हुए हैं। मैंने कहा था कि इनको राज्य सभा का मेम्बर बना दिया जाये। इस तरह उनको भी राज में कुछ हिस्सा मिल जायेगा। ऐसे देशभक्तों को ढूंढ़ कर जैसे लक्ष्मीबाई के खानदान को, महाराज पारीछत के खानदान की और सुभाष के खानदान को राज्य सभा का मेम्बर बनाना चाहिए। उनको पेंशन देने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तक तो आपने सदन को यतीमखाना बना रखा है कि जो भी खुशामदी होता है उसी को सदस्य बनवा देते हैं। मैं सुझाव दूंगा कि राज्य सभा की सीटें जो लोग शहीद हुए हैं उन्हीं के परिवार वालों को मिलनी चाहिएं और उन लोगों की रिपोर्ट मँगानी चाहिए। कितनी लज्जा की बात है कि हम जाकर कहें कि हम पोलिटिकल सफरर हैं आपने हमको पहचाना नहीं। सर्टिफिकेट देने की क्या जरूरत है। ऐसे लोग तो जहाँ भी जायें वहाँ सीना तानकर खड़े हो सकें कि हम देशभक्त है। मैं भगवा वस्त्र पहने हूँ। मैं भी कई बार जेल गया हूँ। इन कपड़ों में रिवाल्वर और हथियार बाँध कर मैंने राजनीतिक आन्दोलन में काम किया है। मैं गाँधी जी के साथ रहा हूँ पर गाँधी जी के उसूलों पर पूरा विश्वास नहीं करता था। मैंने कहा कि बिना हिंसा के कहीं काम चलता है ? अहिंसा से मच्छर कैसे मारे जायेंगे खटमल कैसे मारे जायेंगे ? मैं हमेशा एक सन्यासी रहा। मैंने हथियार कभी नहीं चलाया। एक बार एक बदमाश के लिए मैंने सोचा था कि वह आयेगा तो मार दूंगा लेकिन मौका नहीं मिला और वह बच गया। इस तरह से मैं गाँधीवादी बना रहा। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर गवर्नमेन्ट चाहे तो सब कुछ हो सकता है। श्री शिब्बन लाल सक्सेना जी भी बड़े देशभक्त हैं। उनके जिले में लोगों ने कितनी कितनी कुर्बानियाँ की हैं। गवर्नमेन्ट अगर चाहे तो सब कुछ हो सकता है लेकिन गवर्नमेन्ट भूल सी गई है। आज तो हमारे मिनिस्टरों का यह हाल है कि जहाँ मिनिस्टर बने नहीं उनका दिमाग खराब हो जाता है। अगर हम उनके पी० ए० से पूछते हैं तो कहते हैं कि बाथरूम में हैं। जाने बाथरूम में ही बैठे रहते हैं। मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ। पार्लियामेन्ट के मेम्बरों से भी मैं कहता हूँ भैया अब तो मिनिस्टरों से मिलना भी बड़ा मुश्किल है। मिनिस्टर मिलेंगे

[श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी]

भी तो अपने एरिया के आदमियो को ही घेर कर बैठ जायेगे और दूसरे आदमियो को कोई मौका ही नही मिलता है । वे अपने क्षेत्र के आदमियो से ही अधिकतर बात करते है । भाई आप तो हिन्दुस्तान भर के मिनिस्टर हो आप सभी से बात करो लेकिन ऐसा होता नही है । अब हमारे वश की एक ही बात रह जाती है कि सभापति के सामने ही हम चिल्लाय कि यह हो रहा है । मै ज्यादा बोलना पसन्द नही करता लकिन आप देखें कि वोटर्स ने हमको वोट दिया है हम उनको मालिक माने और हमने इनको वोट दिया है यह हमको मालिक माने । लेकिन सब उल्टा हो रहा है । हम इनको सलाम करने के लिए घूमते रहते है । तो यह मेरा सुझाव है कि पोलिटिकल सफरर्स को राज्य सभा और कोसिलो मे मेम्बर बनाना चाहिए इससे आपको पैसा भी कम देना पडेगा । मै तो परेशान हूँ यह देखकर कि आज देश को आजाद हुए 25 साल हो गए फिर भी बसोर बसोर ही बना है मेहतर मेहतर ही बना है । भ्रष्टाचार पूर्ववत् चारो तरफ फैला हुआ है । हम किसी दारोगा के खिलाफ लिखेंगे कि इसने अन्याय किया है तो उसी के पास से उत्तर आ जाता है । ये उस दारोगा से ही रिपोर्ट मँगवाते है और वह लिख देता है कि यह गलत है । मंत्री जी उसी को यहाँ पर पढ देते है कि यह गलत है । फिर यह काम कैसे चलेगा ? 25 साल हो गए लेकिन मेहतर मेहतर ही बना है । 80 लाख रुपया एक धार्मिक ग्रन्थ को क्यो दिया ? यह रुपया एक ऐसे धार्मिक ग्रन्थ रामायण के लिए दिया गया है जिसमे स्त्रियो एवं शूद्रो की निन्दा की गई है । मिनिस्टर लोगो का ज्यादा जीत जाने से दिमाग खराब ही गया है । तो इन सब बातो की तरफ ध्यान देना चाहिए ।

डा० गोविन्द दास रिछारिया (झांसी) सभापति जी, मैं आपके द्वारा माननीय पन्तजी से निवेदन करना चाहता हूँ कि सक्सैना जी का जो आशय है उसके लिए वे कोई बिल पेश करें और उसमे 1857 से जो क्रान्ति हुई थी या सगठित की गई थी उसका अवश्य ध्यान रखें । मै उस क्षेत्र झाँसी से आता हूँ जहाँ से 1857 की क्रान्ति को सगठित किया गया था, महारानी लक्ष्मीबाई के द्वारा । मेरे सामने आज भी इस तरह के उदाहरण है कि जो राजा या जो राज परिवार के लोग या जो आम लोग उस क्रान्ति मे सम्मिलित हुए थे या जिनके बुजुर्ग उसमे सम्मिलित हुए थे आज वे भूखो मर रहे है चौराहो पर घूम रहे है । वे राजा जिन्होने उस समय महारानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ अंग्रेजो का साथ दिया था उनको अग्रेजो ने इनाम दिया बल्कि उनको अभीतक इनाम मिलता रहा । वह सिधिया परिवार जिसने महारानी लक्ष्मीबाई के साथ विश्वासघात किया उसको उस समय से इनाम मिलता रहा और आज भी देश मे वे हमारे रास्ते मे रोडा बनते चले आ रहे है । जैसाकि अभी स्वामी जी ने कहा बानपुर के राजा और उनका परिवार आज भी भटकता फिर रहा है और भूखो मर रहा है ।

इसी तरह से महारानी लक्ष्मीबाई के बाद जितनी क्रान्तियाँ हुई है, क्रान्तिकारी आन्दोलन हुए है, आप सब जानते है, इतिहास के विद्यार्थी जानते है, सबका सगठन झाँसी मे हुआ है । चन्द्रशेखर आजाद झाँसी की गलियो मे रहे है और वहाँ के जंगलो मे उन्होने संगठन किया है । उनका साथ देने वाले महाराजा खानिया-धाना की रियासत छीन ली गई । आज उनके लोग भूखो मर रहे है । आज तक उनका कोई ठिकाना नही है ।

मेरा निवेदन है कि आप जो भी बिल लाये या जो भी कानून पास करें आप का दृष्टिकोण यह हो कि खाली जेल जाना ही कोई बड़ी चीज नही थी । 1857 मे लोगो ने गोलियाँ खाई । महारानी लक्ष्मीबाई के साथ एक कोरी

झलकारी थी। जब अंग्रेजों की सेना महारानी लक्ष्मीबाई का पीछा कर रही थी तब उसने महारानी लक्ष्मीबाई के कपड़े पहने और सामने आकर अपने को गिरफ्तार करवा दिया। वह कोरी जाति की लड़की थी। उसको सर ह्यू रोज ने गोली से उड़ा दिया था। उसके परिवार के लोग आज भी झाँसी की गलियों में भूखों मर रहे हैं। आप जो भी विधान यहाँ रखें उसमें यह रखें कि जिन्होंने जेल यात्रा की है या गोली खाई है। बानपुर के राजा के किले में बहुत से लोगों को फाँसी पर लटका दिया गया था। उनके परिवार के लोग आज भूखों मर रहे हैं। झाँसी में एक कहावत थी····

सभापति महोदय : आपके पास जो व्यक्तिगत केसेज हों उनको आप मिनिस्ट्री के पास भेज दीजिये।

डा० गोविन्द दास रिछारिया : मैं निवेदन यह कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो बिल पेश है उसमें खाली जेल यात्रा लिखना ही काफी नहीं है। जैसा श्री विकल ने कहा 1857 से लेकर उसके बाद तक जितने भी क्रान्तिकारी आन्दोलन हुए हैं उसमें जिन लोगों ने गोलियाँ खाई है अथवा जिनके परिवार बरबाद हुए उनका समावेश किया जाये और उन सबको इसमें राहत मिलनी चाहिए। इसके साथ साथ जिसने छः महीने ही नहीं तीन महीने, एक महीने या जितनी भी जेल यात्रा की हो उसका भी इसमें समावेश होना चाहिये। मेरी यह इच्छा है कि श्री पन्त इसको करेंगे। पन्त जी खुद बहुत सी चीजों को जानते हैं। उत्तर प्रदेश का इतिहास उनको मालूम है। वह खुद स्वतंत्रता संग्राम में उस परिवार के रहे हैं जिनका सम्बन्ध सभी उन परिवारों से रहा है। इसलिये पन्त जी घोषणा करें कि वह इस प्रकार का बिल लायेंगे और मैं आशा करता हूँ कि इस आश्वासन के बाद श्री सक्सैना अपने बिल को वापस ले लेंगे।

श्री हरबारा सिंह (होशियारपुर) : सभापति महोदय, मैंने एक इश्तहार अखबारों में देखा जिसमें गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से एक मुफस्सिल हिदायत थी कि जो पौलिटिकल सफरर्स हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनकी वह मदद करना चाहती है। यह ऐसी चीज से जिससे बहुत से लोगों में, जिनके चेहरे पसमुर्दा थे, रोशनी आई है। यह इसलिये कि अभी तक ऐसे लोग कहीं-कहीं मौजूद हैं जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है क्योंकि उन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी वह 1947 से पहले लड़ी थी। उसके बाद तो फ्रीडम फाइटर्स का सवाल ही पैदा नहीं होता। उससे पहले के लोगों की उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन उनकी हिफाजत के लिये, उनकी देख-भाल के लिये, रोटी के लिये, गुजारा करने के लिये बहुत कम चीजें की गई हैं। पंजाब में कुछ हुआ था सरदार प्रताप सिंह के वक्त में। हमने कुछ पेंसनें दी थीं। कुछ की सर्विसेज को एनर्जाइज किया और कुछ को जमीनें भी दीं। लेकिन आज के जमाने में वह बहुत कम मालूम होता है। जो भी हो, आज हजारों आदमी ऐसे हैं जो जेल काट कर अपने घरों में बैठे हुए हैं। उनकी परवरिश करने वाले कोई आदमी आगे नहीं आये। मुझे खुशी है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने यह बात अपने जिम्मे ली है। जब श्री पन्त से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि वह इसके लिये बिल लाने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि उसमें यह तमाम चीजें लाई जायेंगी जिससे हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हममें नहीं हैं या हैं और जिन्होंने अपने सीने पर गोलियाँ खाकर देश को आजाद कराने के लिये काम किया है उनकी परवरिश का इन्तजाम किया जायेगा। ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको जमीनें दी जा सकती हैं, पेंशनें दी जा सकती हैं। इस लिहाज से उनके लिये मकान, दूकान और काम का बन्दोबस्त सरकार अपने जिम्मे ले।

आज इस तरह के लोग बहुत कम हैं, ज्यादा नहीं रह गये हैं। अगर और चार-पाँच साल तक इन्तजाम कर दिया जाय तो शायद

[श्री दरबारा सिंह]

उसके बाद जरूरत ही न पड़ें, क्योंकि यह लोग बहुत उम्र वाले है। अगर कोई 70 साल का बुजुर्ग है, जिसने आजादी की लडाई मे हिस्सा लिया, उसके लिये हम पूरा इन्तजाम भी कर दें तो क्या बात है ? इसी लिये हमने राजे महाराजाओ से अपना गला छुडाया। वह लोग जो सम्पत्ति दे रहे है वह इन लोगो को दी जाये जिन्होने गुलामी की जजीरो को तोडा है। अगर सरकार अपनी तरफ से नही देती तो कम से कम वह तो दे दे जो उसने राजे-महाराजाओ से लिया है। अगर वह तकसीम कर दिया जाये तो वह रोटी खाने वाले बन जायेंगे। हमारी यह जिम्मेदारी है, सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने जिम्मे इस काम को ले और उनके खाने पहनने का इन्तजाम करे। यहां हमारे दोस्तो ने जिक्र किया, मै उसका जिक्र नही करना चाहता, लेकिन कौन नही जानता कि सरदार भगत सिह और दूसरे नेता हुए है जिन्होने अपनी जाने दे दी। उनके परिवार आपसे कुछ नही माँगते, लेकिन उनके परिवारो को जरूर मदद की जरूरत है जिन्होने लडाई लड कर हिन्दुस्तान को आजाद करवाया। जलियावाले बाग से आज भी उनके निशान बाकी है। वह निशान जाहिर करते है कि किसी नौजवान के सीने से गुजर कर गोली यहां आकर टिकी है। क्या उनके परिवारो की परवरिश करना हमारा फर्ज नही है। अगर्चे किसी प्रदेश सरकार ने या दूसरी सरकारो ने इसमे हिस्सा नही लिया, मगर हमारी सरकार ने इस काम को करने की स्वाहिश जाहिर की है। जितनी जल्दी वह यह काम कर दे उतनी जल्दी लोगो मे रोशनी आयेगी।

जहां जहां मैंने उस इश्तहार को दिखलाया है उन लोगो ने कहा कि यह बहुत नोवल काम सरकार कर रही है। इसका लोगो मे बडा ऐप्रिसिएशन है और यह जितनी जल्दी हो अच्छा है। मैं श्री पंत के जजबात को जानता हूँ, मैं उनका एहतराम करता हूँ। जो हमारे बडे पंत जी थे वह जिस हालत से गुजरे हैं उसको भी वह जानते है। दूसरे जिन दोस्तो ने आजादी की लडाई मे हिस्सा लिया है, कौन नही जानता कि एजुकेशन सिस्टम मे भी उनका नाम आना चाहिए। आज के नौजवान ढूंढ रहे हैं कि हमारे बुजुर्गों ने क्या काम किया है। वह भूले पडे हैं, वह नही जानते है कि किस नौजवान ने अपनी जान देकर हिन्दुस्तान की आजादी ली है। कही इस चीज का उपयोग करो ताकि हमारी पुरानी हिस्ट्री जो है वह सबको मालूम हो सके। हमारी आने वाली नस्ल को पता लग सके कि हमारी आजादी कैसे आई और किन किन लोगो मे उसमे भाग लिया। यह सारी चीज हमारे एजुकेशन सिस्टम मे आनी चाहिये। जो काम उन्होने किया है वह जिन्दा जावेद है। वह कायम रहे और हमारी हिस्ट्री का हिस्सा बन जाये।

ऐसे बहुत से इस्टान्सेज दिये जा सकते हैं जिन लोगो को 20-25 रु० दिये गये है। उससे कुछ होने वाला नही है। उनसे आप मजाक मत कीजिये। यह बडा भारी मजाक है कि हम तो 500-700 रु० लें लेकिन उन लोगो की फैमिलीज की एजुकेशन के लिये भी कुछ नही है। अगर हम उनको 50-100 या 200 रु० भी दे दें तो वह ज्यादा नही है। पेंशन के अलावा उनको एजुकेशन की और दूसरी सहूलियतें देने का भी प्रबन्ध होना चाहिए ताकि वह कह सकें और आने वाली नस्लो को भी याद रहे कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं उनके लिये सरकार ने कुछ किया है।

इन अल्फाज के साथ मैं पन्त जी से निवेदन करता हूँ कि इसको जितनी जल्दी वह ला सकें लायें और देश भर मे इसकी तारीफ होगी। आज बहुत सी पोलिटिकल सफरर्स की फैमिलीज अन्धेरे मे पड़ी हुई हैं, जिनके पास मकान नहीं

हैं, खाने के लिये नहीं है, कोई दूसरी चीज नहीं है। उनका प्रबन्ध होगा तो उससे हमारी कौम उभरेगी और उसकी सताइश होगी, तारीफ होगी।

SHRI DHAMANKAR (Bhiwandi) : It is my fortune to be here in this hon. House and get an apportunity to support the Bill introduced here by the great patriot, Prof. S. L. Saksena.

We cannot deny that some States are doing something to give some relief and assistance to freedome fighters, but they are doing in different ways. It will be very appropriate if the Central Government introduces a comprehensive Bill and gives uniform assistance and relief to freedom fighters who are scattered all over the country.

Maharashtra is doing its best. But there is one category which is not taken into consideration—the undertrials and the absconders. Those who are convicted get certificates with great efforts from the Jail Department and they are given *Sanman Patras*. They get facility for the education of their children, but those who sufier are this category, namely, undertrials and absconders. They have to run for their lives to different parts of the country and they cannot be included ! I have approached the Maharashtra Government. In some cases I have found that they could not be included as they were absconders or undertrials. I feel, they have a right and they should be considered so.

I know, Pantji is very keen to do something for the freedom fighters. I have pointed out to him. In one case, one Mr. Patwardhan absconded from Maharashtra and settled in Indore. He was involved in martyr Kotwal's case. He was in a bad plight and in a shottered health. Pantji was kind enough to give him some medical relief, but still he is without any monetary assistance from the State Government—some sort of land or something. I feel that if a comprehensive Bill is introduced here, we would be doing justice to those who have suffered in the cause of this great country.

With these words, I support the Bill.

श्री वसन्तराव पुरुषोत्तम साठे (अकोला) : आपने मुझे पहला अवसर खासकर इस महत्व-पूर्ण विषय पर बोलने का दिया है। मैं इसको अपना सौभाग्य मानता हूँ कि जिन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में कुर्बानियाँ दीं उनके बारे में जो यह बिल आया है उसी के सम्बन्ध में मुझे आपने बोलने का अवसर दिया है।

मुझे कुछ ज्यादा इस बिषय में नहीं कहना है, केवल दो सुझाव ही देने हैं। देश को स्वतंत्र हुए पच्चीस वर्ष होने को आ रहे हैं। इस बीच स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के बारे में कुछ ठोस काम किया गया हो, ऐसा देखने को नहीं मिलता है। उनके पत्र हम लोगों को भी मिलते रहते हैं। कुछ लोग हैं जो दो महीने के लिए जेल गये और नहीं भी गये लेकिन उन्होंने चीफ मिनिस्टर के दस्तखत लेकर और उसको फ्रेम करवा कर रख लिया है। अब जो कुछ लोग बाकी बचे हैं और सचमुच में जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया है और बरबाद हो गये हैं, ऐसे लोगों के लिए मेरी प्रार्थना यह है कि उनका सम्मान होना चाहिये। 1857 से लेकर आजादी मिलने तक जो शहीद हुए हैं उनके परिवार के लोगों को हम ताम्रपत्र या कोई दूसरी धातु भी हो सकती है, उस पर लिखकर उनको वह भेंट सकते हैं ताकि आज से सौ साल के बाद वे अपने कुटुम्ब के बच्चों को बता सकें अभिमान से कि ये हैं हमारे पुरखे जिन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग लिया था। इस तरह की कोई टिकने वाली चीज उनको दी जानी चाहिए।

जो लोग बचे हैं उनको सौ रुपया हर महीने आप कम से कम पेंशन के रूप में दें। आखिर उनकी आयु भी आज काफी हो गई है · · ·

श्रीमती सहोदरा बाई राय (सागर) : सौ रुपए में क्या होता है ?

श्री वसन्तराव पुरुषोत्तम साठे : ज्यादा कर दें। लेकिन सौ रुपया तो होना ही चाहिए। मैं सौ रुपया महीना कह रहा हूँ। उनके कुटुम्ब के जो लोग है उनको कम से कम इतना तो मिल ही जाना चाहिए, ज्यादा हो तो कोई हरज नही है। लेकिन इतना तो जरूर होना ही चाहिए। यही मेरा सुझाव है।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. C. PANT) : Mr. Chairman, Sir, I am very grateful to the various hon. Members who have participated in this Debate.

I think the House will agree that Prof. Shibbanlal Saksena, —who is a veteran patriot and freedom-fighter, and who has devoted long years of his life in the service of the people of our country, —has done a signal service by drawing the attention of this House, and through this House, of the whole country, to the need for assisting freedom—fighters. I fully share the sentiments which have been expressed by all sections of this House. I was struck in particular by the high emotion with which Shri Anant Prasad Dhusia spoke. He recalled the days of his arrest, and it seemed to me that a series of pictures came to his mind, and as he painted those pictures before the House, he practically broke down. I am sure that there are many others in this House including you, Sir, who would recall similar occasions or similar situations and who would recall them with a great deal of emotion.

Sir, I too have been brought up in an atmosphere and amongst people who have seen the struggle from close quarters and participated in it. Therefore, it is natural for me to respond to the sentiments that have been expressed in this House and the concern that has been expressed. It strikes a cord in my heart and it is not a matter of speech making or a matter of trying to project an idea; it is natural, and it comes naturally to me. I recall with pride the glorious chapter of India's struggle for freedom, and all of us still, and I hope will continue to, do honour to the freedom-fighters who participated in that glorious struggle. Some hon. friends referred to your part, Sir, in the struggle, and if I may say so, we are all proud of the glorious part which you took in it, and along with so many others in this House and outside.

Having said this, I would like to explain what Government's broad approach in the matter of giving assistance to freedom-fighters has been. It is an approach that has undergone certain changes with the passage of time, and all the changes have been by way of the Central Government extending some more assistance that it used to, in favour of freedom-fighters. Basically the responsibility for extending assistance to freedom-fighters is that of the State Governments, and the State Governments have formulated their own schemes in this matter. Several Members who spoke referred to schemes in their own States. Shri Darbara Singh was referring to certain schemes which were drawn up by the Punjab Government when he was there. Other Members also briefly referred to the schemes in Maharashtra and U.P. I do not want to go into the details of the schemes that have been drawn up by the various State Governments. But I do recall that once, when there was a discussion in this House sometime back, various Members expressed the view that the quantum of assistance which was being granted by the State Governments to freedom-fighters was generally very low, and they felt that the Central Government should take at least so much interest in the matter as to remind the State Governments that these amount are low and request them to increase these amounts.

I would like to inform the hon. Members that as per the assurance I have given in the House, the Government has impressed upon the State Governments the need to increase the amount of assistance that they are giving so as to take care of the needs of those freedom-fighters under present-day conditions.

SHRI D. N. TIWARY (Gopalganj) : But it is very, very few.

SHRI K. C. PANT : I cannot say about each State Government. Some of the State Governments like Uttar Pradesh, for instance, are giving to a very large or to a fairly large number. But I cannot off-hand give either the number nor can I assert that it is enough or adequate, because it has been left to the States.

I might tell my hon. friend Mr. Tiwary that we have been writing to the State Governments to let us know how many freedom-fighters they are giving assistance to, and we have collected some figures also, because we propose to use those figures also to facilitate the implementation of the scheme we have drawn up ourselves. So, we can go into those figures also sometime. But it has been left to the State Governments to implement their own schemes.

When this matter first came up before Parliament in 1950, then the leader of our freedom struggle and our late Prime Minister Shri Jawaharlal Nehru, spoke, and in the course of his speech, he laid down the policy which has been guiding the Government in this matter ever since. I will just quote a few passages from his speech. He said :

> "Now, it seems to me that while, on the one hand, it is perfectly right that these people who may be destitute, who may be suffering, should be helped to the best of our capacity, it seems to me as something very, very wrong to ask Government, to ask even a private organisation, to open, if I may use the words, some kind of destitute poor-houses for those people who suffered in the struggle or their families, etc., or, as one hon. Member said, have a committee to find out who are destitute people, or who are the families or whose fathers or whose brothers or cousins did it and have a list of the destitute poor who suffered in all this process. I think it is unbecoming; it is an anti-climax to our struggle which does not appeal to me in the slightest.
>
> There are other considerations too, and that is, how far it is right or proper for us, any of us having ourselves participated in this struggle, to come to the Government or to use Government of which we are members for this particular purpose. It seems to me that that will not be a very good example to set."

And then, he want on to say :

> "Therefore, for these and like reasons. I would submit to the House that this question is far better dealt with as far as possible on a non-official level... I do not wish to exclude the official level, and therefore, I should think if provincial governments have done so, they have done a good thing. I would like to have it. The Central Government may also do so, in the case of specially hard cases that are brought to its notice."

So, these were the broad guide-lines which Pandit Nehru laid down, and these guide lines in brief were, that the State Governments may extend assistance to freedom-fighters in the normal course. In exceptional circumstances the Central Government may also extend assistance. As per these guide-lines the Central Government does give lumpsum grants to freedom fighters and it has been one of my most satisfying duties to extend such assistance. In the last so many months, hardly any section of this House is excluded, which has not brough to my notice some case of difficulties being experienced by some freedom fighters. Members from all the sections of the House have written to me and as I said it has given me great satisfaction to be able to extend on behalf of the Government lumpsum assistance, not large sums but small sums, still something to tide over their immediate difficulties. That is one scheme which has been under operation.

Under another scheme freedom fighters who were deported to the Andaman central jail and jails outside the country have been granted assistance or pension by the Central Government. If I remember right, previously those pensions were meant only for those who had suffered imprisonment for at least five years in Andamans. Later on that

[Shri K. C. Pant]

scheme was modified to a total imprisonment of five years or above partly spent in the Andamans and subsequently it was further modified to say that if anyone has undergone imprisonment in the Andamans at all, he will be considered for pension. The number of such applications is very small. Out of 275 cases of Andaman prisoners, the number of pensions sanctioned is 258. The maximum pension granted is Rs. 350. For the freedom-fighters of Goa, the number sanctioned is six: the maximum pension is Rs. 500. Total expenditure in 1971-72 was Rs. 7·33 lakhs.

DR. KAILAS : What about the remaining applications ? What are the difficulties about the remaining 24-25 applications ?

SHRI K. C. PANT : I should like to thank you in particular for the assistance you have given usin dealing with these cases because under the scheme we have to apply the means test and in some cases because of the means test we could not extend assistance to ex Andaman prisoners. That is the reason why some cases have not been dealt with But I have not turned them down. I have held them over so that we can consider their cases at the end.

श्री रामावतार शास्त्री : आपने उनको रिजेक्ट कर दिया ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : उस वक्त तो रिजेक्ट किया ही है ।

I have kept them back because after the whole list has been exhausted I propose to take this up and see what the attitude of the Government will be. I cannot individually and singly take up a particular attitude when the scheme has been drawn up in a particular way.

17 hrs.

There was some reference to verification and some hon. friends felt what that this would cause a lot of harassment. May I tell him that in the case of ex-Andaman prisoners in the bulk of the cases it was not necessary to make the verification from the State Government ? We accepted evidence of published material. Regarding financial condition, we accepted affidavit. Therefore, we are ourselves conscious of the fact that as far as possible no freedom fighter should be subjected to any kind of harassment at all. But because we deal with public money, because this is the tax payer's money from which these payments are made, a certain amount of verification does becomes necessary. It is far from our mind to humiliate anyone who has participated in the struggle for the country's freedom. He has to be honoured, and there is no question of humiliating him, but because public funds are involved, a certain minimum amount of verification becomes necessary. That is the attitude which informs our approach in the matter.

We have very often accepted an M. P's verification. Many of the members who have written to me know this but there must be some verification which can be counted upon and which can satisfy anybody who goes into those accounts and so on. If there are any further ideas, I would be prepared to consider them. I would consider any suggestion in regard to this matter with the utmost sympathy.

The point made by Sardar Darbara Singh that many of the freedom fighters who participated in the freedom fight are getting on in years is quite valid, because the last Satyagraha was in 1940-42 and since 1942, 30 years have passed, and those who participated in the struggle are mostly above 50 now.

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur) : What about the 1965 Goa struggle ?

SHRI K. C. PANT : The Goa Satyagraha is there, but I am talking about the main stream.

So, many of them are today in difficult circumstances with grown-up children,

family commitments and so on. Therefore, the Government has considered this matter of extending a scheme of pension for their benefit also.

'As I said in the beginning, till now the approach was that pension should be granted only by the State Governments, and the present scheme is a modification because it is a departure from that basic position.

There are certain other matters in which the Central Government has extended assistance. For instance, Mr. Vikal mentioned the 1857 revolution. The descendants of the 1857 freedom fighters are also being given pension since 1957. The number of beneficiaries is small, as only the descendants of prominent personalities are selected for assistance by the Centre. So, this too is being done.

A reference was made by Dr. Kailas to assisting freedom fighters in the matter of education. In the matter of education and health, the Ministry of Health and the Ministry of Education also offered certain facilities and concessions to freedom fighters in regard to the education of the children of the freedom fighters and to their medical treatment.

DR. KAILAS : I was talking about admission to medical colleges, engineering colleges, business administration college, etc. That can be examined.

SHRI K. C. PANT : I can take it up with the Education Ministry. It will have to be examined by them.

A reference was made to the need to write a history of freedom fighters. I fully appreciate the sentiments expressed by Shri Darbara Singh and others that it is necessary to preserve the memory of those who have fought for the country's freedom and to have some permanent reminders of their sacrifice and participation in that great struggle, which brought freedom to this country. I fully appreciate that sentiment. A suggestion was made that there could be some kind of *Tamra Patra* or what have you. Along with that, whatever other ideas hon. Members might have in this regard, I hope they will send them to me and I will put them before the committee which is drawing up the programme for the celebration of the 25th anniversary of our freedom.

The Education Ministry is incharge of the compilation of the *Who's Who* of Indian Martyrs. Thers is no question of forgetting them or negelecting them or allowing them to be forgotten. If it is possible and if the State Governments agree to include some reference to the freedom struggle in the text books so that the children may be reminded of the freedom struggle and of those great personalities, it would be a step in the right direction.

Volume I of the *Who's Who* dealing with the freedom fighters of the former British India has already been published. Volume II dealing with the former Princely States and foreign possessions is under print. Volume III will deal with the 1857 movement. The Ministry of Education is already supervising the work of the *Who's Who* of the freedom fighters. The work has been entrusted to the States, We understand Gujarat, Punjab, Tripura and Pondicherry have already brought out some publications.

श्रीमती सहोदरा बाई राय : माननीय मंत्री जी, आप स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को जो भी दें, उसे चाहे तनख्वाह मानिए या जो भी मानिए पर वह 200 रुपए से कम नहो होना चाहिए। 200 से कम में कुछ भी नहीं होता है।

SHRI K. C. PANT : Before I come to the scheme, may I say, Shri Daga asked whether any State Government has given any land to freedom fighters. In U. P. in the Terai area, many freedom fighters have been given land by the Government. Perhaps they have been given land in some other States also. Naturally not all of them have got land. I do not have the figures with me, but I do know that some States have given land to freedom fighters. He also asked, if a State Government is giving an honorarium to a freedom fighter, will that bar him from getting assistance from the Centre ? It will not bar him, although what he is getting

[Shri K. C. Pant]

from the State Government would he taken into account.

श्री राम धन (लालगंज) : माननीय मंत्री महोदय, जरा इस बात को स्पष्ट कर दें कि जो दो सौ रुपये की नई स्कीम दे रहे है उसमे राज्य सरकार द्वारा दी गई पेंशन को भी शामिल कर के 200 रुपया देंगे या अलग से 200 रुपया होगा ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : उसको शामिल करके देंगे। वह 200 रुपया हो या उससे ज्यादा हो, वह दूसरी बात है। मगर उसको तो शामिल करना ही पड़ेगा। कही कुछ मिलता है, कही कुछ मिलता है अलग-अलग राज्यो मे तो उसको तो देखना ही पड़ेगा।

A Suggestion was made that we should not call this "pension" but "honorarium". I have no strong feelings in the matter. Parhaps, certain legal meaning is attached to this term. Pension is a well-understood term; it means regular payment, whereas honorarium may be construed to mean an *ad hoc* payment. These are technical matters which can be considered. I quite appreciate the sentiments. I think you will all agree that we should see to it that the objective is achieved.

PROF. MADHU DANDAVATE : There is a number of decisions by the courts to the effect that honorarium is of *ad hoc* nature.

AN HON. MEMBER: It would be better if it is called honorarium and not pension.

SHRI K. C. PANT : Perhaps the main burden of what I have said has escaped the attention of my hon. friend. I am saying that we should ensure that they get a regular payment during their life time and their dependents, if they are no longer alive. If honorarium means payment of an *ad hoc* nature and the use of the term "honorarium" may stand in the way of making regular payments, then we may not insist on that term, but we will insist on regular paymens.

SHRI SAMAR GUHA : The term "honorarium" can be clarified so that it will stand legal scrutiny.

SHRI K. C. PANT : I think we are going from legal to verbal complications. I said that I will examine it.

I may add that Swamiji made a few disparaging remarks about Ministers. But before he went out he assured me that he was not referring to me. I would like that to go on record.

If you will permit me, I would like to refer to the scheme which the Central Government has drawn up, to which reference has been made by many hon. friends. I would remind the House that this is over and above what the States are doing. Because the hon. Members are interested, I would like to read it :

> "The Government of India will implement from 15th August, 1972 a scheme for the grant of pension in deserving cases to those freedom fighters who have suffered imprisonment in the mainland jail for a period of not less than six months before independence and also to their families where the freedom-fighters are no longer alive. The families of martyrs who gave their lives for the freedem of the country will also be eligible for grant of pension. The pension, which will normally be for the life-time of the recipient, will be sanctioned after taking into consideration the financial condition of the freedom-fighter, martyr and/or families and the pensions/ monthly allowances being received by them from any State Govrnment or Union Territory administration. The total amount of pension sanctioned to a freedom fighter will not be less than Rs. 200 per month and in the case of families it will vary from Rs. 100 to Rs. 200. Only one member of the

family of the freedom fighter or martyr will be eligible for pension. 'Family' includes widow, unmarried daughters and mother of the freedom fighter and sons in exceptional cases where they were unable to establish themselves in life on account of the imprisonment or martyrdom of their father. All the persons eligible for the pensions under this scheme should apply in duplicate in the prescribed *pro forma*, which may be obtained from the Chief Secretary to the State Government/Union territory administration where the applicant is ordinarlily resident."

डा० गोविन्द दास रिछारिया : क्या 1857 वाले इसमे नही आ सकेंगे ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : 1857 वालो मे से कुछ को हमको हम आज भी देते है। अगर कोई और केसेज होंगे तो उन पर विचार करेंगे।

श्री डी० एन० तिवारी : आपने लिखा है कि चीफ़ सैक्रेटरी के यहाँ से फार्म लें, अगर इसको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कर देते, तो लोगों को सुविधा होती। इस तरह से तो बड़ी देर लग जायगी।

श्रीकृष्ण चन्द्र पंत : इसको सोच सकते हैं। इसमें डिटेल की बातें है—

"Applications received after August 15, 1972 will be considered only for pension from the date of sanction. Freedom fighters, who cannot be granted pension on the ground of their financial status, will be considered for the award of a certificate commending their services in the attainment of the freedom of the country."

SHRI INDRAJIT GUPTA (Alipore) : What is the meaing of this ?

SHRI K. C. PANT : It has not been worked out in detail but it may be a *tamra patra*, as has been suggested just now.

SHRI INDRAJIT GUPTA : What is the meaning of "whose financial condition may not make them eligible for this"?

SHRI K. C. PANT : Do you mean to ask whether a certain income etc. would be specified ?

SHRI INDRAJIT GUPTA : If it is in the nature of a pecuniary relief—some dole or something—then I can understand it, but if it is meant to be something which is supposed to be a mark of appreciation of their services, you should not make any condition Leave it to them. If somebody is so well off today that he does not need these Rs. 200, leave it to his good sense and to his sense of patriotism. He himself will say that he does not require it. Why do you put it in ?

SHRI K. C. PANT : It seems to me that people who have the means will probably not apply themselves.. Therefore, there is no harm in having this provision.

श्री रामावतार शास्त्री : इस तरह के लोग तो दरख्वास्त ही नही देंगे।

श्री बी० पी० मौर्य (हापुड़) : जिस समय दरख्वास्त मन्जूर हो जायगी, उसके बाद से देंगे। आप इसमें 15 अगस्त, 1972 की तारीख क्यों नहीं दे देते, वर्ना हो सकता है कि आपको इस में एक साल लग जाय।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : जिनकी अर्जी 15 अगस्त से पहले आ जायेगी, उनको 15 अगस्त से मिलने लगेगा। लेकिन अगर किसी की अर्जी 1974 में आती है तो उसको 1972 से नहीं मिलेगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : जो 1972 में ही एप्लाई नहीं करेगा तो उसकी अर्जी 1974 में कहाँ से आ जायगी।

श्री रामावतार शास्त्री : ऐसा आदमी तो एप्लाई ही नहीं करेगा।

श्री वसन्तराव पुरुषोत्तम साठे : जिसकी 200 रु० पर मंथ इन्कम हो, उसको समझना चाहिए कि वायाबल नही है, क्योकि हम 200 रु० दे रहे हैं।

SHRI K. C. PANT : Actually, even now, I am subject to correction, it is not Rs. 200 a month but, I think, about Rs. 5,000 a year. If the income is Rs. 5,000 a year, we are not considering them for these pensions. It is something like that; it is not a very small sum.

श्री रामधन : हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन मे बहुत से व्यक्ति ऐसे रहे है जो बहुत वर्षों तक फरार रहे है, बहुत संकट झेला है, उन के पास प्रमाण पत्र है। अब आप ने 6 मास की अवधि निर्धारित कर दी है, ऐसे केसेज मे क्या होगा। जैसे पंजाब के एक बिजली सिंह जी थे, जो 22-23 साल फरार रहे, फरार होन। उस समय की नीति थी। यह भी हुआ है कि गलत नाम से जेल में गये है, उनके पास सर्टिफिकेट भी नही है, उनके साथ क्या होगा ?

SHRI K. C. PANT : I catch the point that the hon. Member is making and I must say that it presents a difficulty. We would like to help these people. But in a scheme there has to be something very specific and definite. There has to be some verification. We can consider this aspect. In fact, we have been considering as to what to do with this category. The other category which is presenting some difficulty is that of persons who were under trial for a long period but were not actually convicted. They were not convicted. But they spent time in jail. There is no proof of conviction. In fact, they had under-gone some imprisonment. There are these marginal cases which are presenting some difficulty. We are examining them.

SHRI VASANTRAO PURUSHOTTAM SATHE : Jail-going should not be a test at all. These persons sacrificed everything. They left schools and colleges and their whole career for the freedom of the motherland. They became poor. That should be the real test.

SHRI K. C. PANT : Sir, a suggestion was made that some Bill should be brought forward incorporating various elements of a comprehensive scheme. My submission to the House would be that instead of bringing forward a Bill, we might try out the scheme. The reason for that is that implementing a scheme of this kind gives us a far more flexibility. Once you have a statute, you have the rules and regulations that go with a statute and you must have a stricter form of verification Necessarily, all kinds of technicalities, audit, etc. come in. Therefore, if my hon. friends would like it to be implemented in a somewhat flexible manner and not call for too many technicalities, etc., it may be better to leave it as a scheme of the kind which I have just mentioned. If we find that the scheme requires modification or if we feel or the House feels, at any stage, that it might be made a statute, that can be considered at that stage. I think, there is some advantage in having a scheme in the present form.

This is the intention of the Government. The intention of my hon. friend, the mover of the Bill, is also appreciated. He may want it in a little more elaborate form. He may want to cover more areas. But the number of freedom fighters that he has given seems to me to be a gross under-estimate. There are many more freedom fighters in the country. The number that we have received already is larger than what he has given. Since his figure is not accurate, the financial implication of his proposals is really not accurate and the actual expenditure that is likely to be incurred is much larger than what his scheme suggests.

While appreciating the sentiments and the spirit which has impelled him to bring forward this Bill and sharing them—I share them; the Government shares them—I would request him in view of what I have said to withdraw his Bill and to give us a chance to pursue the scheme with vigour and with sincerity.

SHRI SAMAR GUHA : I have a certain clarification to ask. The scheme that has been drafted will exclude not only hundreds but thousands of freedom fighters. As you

know, it does not mention those freedom fighters who had not been in jail for six months and outside the mainland of India. There have been a number of freedom fighters who have not been in jail. They have been excluded.....

MR. CHAIRMAN : You were not here. All these points were raised by various hon. Members and he has replied to them.

SHRI SAMAR GUHA : I was sitting here all along. I also participated in the debate. I think, you will appreciate my point. We have all been revolutionaries. I want to draw your attention to what happened during the First World War. Take the case of leaders like M. N. Roy and Jatin Mukherjee and those who were involved in the Indo-German conspiracy case. Those revolutionaries who escaped to European countries did not undergo imprisonment. Their families are still suffering. I have also cited the cases of Birendranath Chattopadhya, Abani Mukherjee and Obeidullah Sindh. Many more cases can be cited. These persons have been excluded. In the First World War and also afterwards, a number of freedom fighters were deported and were not allowed to come back to the country even after freedom was achieved. Take the case of insurrection under the leadership of Jatin Mukherjee and Rash Bihari Bose. There was an uprising and for three days the whole of Singapore was under the control of revolutionaries. A number of revolutionaries were deported to different jails. What will happen to those families ? What will happen to revolutionaries blonging to Gadar Party and of the Kamagatamaru episode ?

The most important case is that of INA fighters. They did not undergo imprisonment. 26,000 INA people sacrified their lives in the freedom struggle. 26,000 INA people sacrified their lives for the freedom of India. It was on the ashes of those that we had built the edifice of our freedom. What about the families of those revolutionaries ? They were not in the Jail. The definition given here is that they should have been in jail for six months. And that too in the mainland. What about those who suffered in the Chittagong armoury raid case in East Bengal ? Take also the instance of Lahore conspiracy case. What about the cases in Sind ? The definition of 'mainland' should be that before the partition of India. If those areas are excluded, what will happen to the families of those thousands of freedom fighters and martyrs ? As I have already mentioned, 26,000 INA people sacrified their lives.....

MR. CHAIRMAN : How many times is the hon. Member going to mention this ? He should not make a speech now.

SHRI SAMAR GUHA : Sir, you have been a revolutionary...

MR. CHAIRMAN : That is all right. But now I am performing another duty here...(*Interruptions*).

SHRI SAMAR GUHA : I also want to draw attention to the certificate or affidavit by the District Magistrates. It should be categorically mentioned that only Members of Parliament and MLAs should verify the correctness and recommend the names and not District Magistrates as is done in different States. It could also be verified by old revolutionaries.

Lastly I would like to suggest to the Government that there should be a small committee of Members of Parliament. All the applications are now processed through bureaucratic channels. I would recommend that some kind of an advisory committee of Members of Parliament be constituted to advise the Committee on how the applications should be processed and how the pension should be granted.

श्री रामावतार शास्त्री : सभापति महोदय, बिहार में यह हो रहा है कि जो लोग आवेदन पत्र देना चाहते हैं उनके रिकार्ड्स नहीं मिल रहे हैं। 42 तक के रिकार्ड्स गवर्नमेन्ट ने नष्ट कर दिये हैं। तो उनके सामने यह कठिनाई है कि वे आपके सामने क्या प्रमाण-पत्र दें कि हम पोलिटिकल सफरर है, हम राजनीतिक पीड़ित हैं। यह कठिनाई बिहार में है। कई लोग मेरे पास आये जिनको कि मैं जानता हूँ लेकिन सब उनको कैसे

[श्री रामावतार शास्त्री]

जान सकते है। तो वे लोग कैसे एप्लाई करेंगे क्योंकि उनके रिकार्ड ही नही मिल रहे है और सरकार कहती है कि हमने नष्ट कर दिया है। तो यह जो कठिनाई है इसका आप खुलासा कीजिए।

MR. CHAIRMAN : Now, I think, the hon. Minister has noted all these points. We cannot have another round of debate. I am asking Shri Saksena to reply. You can go and meet the Minister and talk to him.

SHRI SAMAR GUHA : What I have raised is a very important point. So many freedom fighters and martyrs have been excluded. I want to know from the Minister.

MR. CHAIRMAN : He has noted. Whatever you have said already has gone on record. You can go and talk to him. He will reply to you.

SHRI SAMAR GUHA : I have raised a very important point. Thousands of martyrs and freedom-fighters are going to be excluded. Let the Minister say.

MR. CHAIRMAN : No. That will become another round.

SHRI SAMAR GUHA : I don't want to enter into a discussion. I only want to know whether these freedom-fighters and these martyrs will be included in this scheme.

AN HON. MEMBER : The Minister is already thinking about it.

SHRI SAMAR GUHA : Let the Minister say this. Why are the freedom-fighters excluded ? Why should the INA people be excluded ? (*Interruption*) *

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record.

SHRI SAMAR GUHA : *

MR. CHAIRMAN : This discussion has been going on for such a long time. You did not send any chit, you did not ask for permission, you did not stand. When it has started concluding, after even the Minister has given the reply, you are starting another round of debate. That I connot allow according to the rules. I am asking Mr. Saksena to reply. (*Interruption*) Whatever the hon. Member has said about those who were in the foreign countries, those who were under detention, in the I N. A. etc. has gone on record. He can meet the Minister if he wants and discuss with him.

SHRI SAMAR GUHA : *rose* (*Interruptions*) *

MR. CHAIRMAN : This will not go on record.

SHRI SAMAR GUHA* :

MR. CHAIRMAN : Now, Prof. S. L. Saksena.

PROF. S. L SAKSENA : I am very grateful to the hon. Minister for the elaborate...

PROF. MADHU DANDAVATE : Without defying your authority, if you would permit me for a second, with your permission, I want to make a submission. In this House, on a number of occasions, this issue of the INA has been raised by a number of Members, irrespective of their political affiliations. Though I do not want to obstruct the proceedings of this House, and I am the last man to do so, I would only request that even if the hon. Minister merely says that since the consensus of this House was already expressed long back, they would take this point into account, that would satisfy all sections of the House. So, without defying your authority, I would beg of you to let the hon. Minister say just one word about it. Let him not prolong the dabate but let him just say one word about it, and then

* Not recorded.

Prof. S. L. Saksena might be requested to reply. The sentiments of this House have been repeatedly expressed on this issue, and, therefore, I would request you to let the hon. Minister say just a word about it.

MR. CHAIRMAN : About the INA also, I may say that I myself have got every respect for every martyr and for every freedom-fighter. The procedure to be followed here is this. When the hon. Minister has replied, it would have been proper for him to put this question. But the hon. Member has started a debate and he has spoken for so long. If a young man like him takes this attitude, then I do not know what will happen. He is the leader of his party also. How nicely Prof. Madhu Dandavate has put the same thing : Shri Samar Guha may learn something from his friend.

SHRI SAMAR GUHA : You need not give me any lessons. I know where to hit and where not to hit. I know the sacredness of the debate and also the responsibility that this House owes to the INA people.

SHRI D. N. TIWARY : After the hon. Minister's speech, some queries were made by several Members and clarifications were given by the hon. Minister. So, if Shri Samar Guha wants clarification on certain points, that clarification should be permitted. He is not making a speech, but he only wants some clarification.

MR. CHAIRMAN : He had raised so many questions. But I shall request the hon. Minister to say something, if he wants to do so, only about the INA.

SHRI K. C. PANT : I have already read out in detail the press note and exactly what will make any person eligible for the grant of this pension. If you like, I can read it out again, but I think it is not necessary since hon. Members have heard me already reading it out. If they come within this eligibility then they will be considered; whoever comes within this eligibility...

SHRI SAMAR GUHA : But six months' jail term is there.

SHRI K. C. PANT : But there is also the category of martyrs. There are two criteria. One is that he should have been to jail for six months on the main land. Those who have been to jail outside are already covered under the other scheme. For instance, the Goan nationals who were in Portugal are already covered by the other scheme. In addition to that there are martyrs. It will have to be established that they are martyrs. If they come within the definition which I have read out, they should become eligible.

PROF. MADHU DANDAVATE : If this could have been said earlier, we would have been satisfied.

PROF S. L. SAKSENA (Maharajganj) : I am thankful to the hon. Minister for the elaborate speech which he has made. I want to quote a passage from the speech that the Prime Minister delivered in this House during the last session of Parliament. She said :

> "The lives of martyrs cannot be valued in terms of money. Their sacrifice is beyond recompense, but a grateful nation remembers its debts and its obligations to them, to mitigate the sufferings of their wives and children. Government have now decided to rectify in so far as possible, the deficiencies in our programme for the war-disabled and the families of those who have died fighting."

Sir, I am sure our Prime Minister respects the freedom-fighters just as much as she respects the soldiers who have just now fought our war with Pakistan. I only wish that those sentiments of the Prime Minister should inspire the Home Minister in interpreting the statement which he has made.

Sir, when I moved my Bill, I was really shocked by the method which was used by the State Governments to grant pensions. First of all, the freedom fighters had to produce the certificate from the jail. In most cases, they were not available because the records have been destroyed. And then, a certificate from the thanas was asked. There too, they were not given. Then, after that, the District Magistrates treated them so

[Prof. S. L. Saksena[

badly that many people gave up the attempt. So, I felt that the condition that the District Magistrates who bad sometimes fired upon the freedom fighters, etc., should be the judge for deciding the pension is something which is not worth-while. So, I said that the nation should not humiliate the freedom-fighters. What we want, as the Prime Minister has said, is to realize that it is a debt which the nation owes to them. If is for the nation to find out who were the people who foughtfor freedom and to find their names and to give them the awards according to their merits and needs. In fact, this is what should be done.

Then, they have mentioned the words "in deserving cases." I think these words should go. It is for everybody who fought for freedom that a appreciation should be given. They have got the right to get it. In fact, in the Soviet Union, I found that workers who have worked up to 55 years of age get a pension for the rest of life; they are entitled to work even after 55 years if they are fit. But even if they work they got the wages as well as the pension all right because they have earned it. I want that the freedom-fighters should get the pension, or whatever you call it, because they have fought for freedom and that will be a matter of honour to them. They may reject it or give it away, give the money back to the Government. So, the words "deserving cases" are something which are very, very awkward to me. I think somebody will judge them, but to say that the District Magistrate will judge them is very humiliating. What I want is, the debt which we owe to the martyrs should be discharged.

In my Bill, I have said that those who are martyrs or who had suffered in prison for five years and so on, should be specially honoured. But your statement markes on distinction. There is one word, in the statement "it will not be less than Rs. 200." That will give room to the Minister to give a higher pension to those who suffered or to the dependants of those who died according to their needs and circumstances. So, what the Government has said in their statement should be made quite clear.

The word "family" here is also not well-defined. It says that the sons will not be included unless they were some how prevented from becoming self-reliant etc. it will, be difficult to prove all these things. So, they must be included in the family and they must be entitled to the pension which their fathers were getting.

MR. CHAIRMAN : Even if they are educated and are in service and earning ?

PROF. S. L. SAKSENA : Yes, I have said already that this is a reward earned by the family. If the mother wants it, she can have it; if the son is there, he might have it. It is all for the family who suffered.

Then, about the definition, "freedom struggle." My friend was worried about the INA. I have put in my amendment to the Bill, in list No. 2, the categories whom I want to include. First freedom struggle of Goa freedom fighters. Then, freedom struggle of persons in areas now forming part of Pakistan. Then, the INA struggle and then the freedom struggle of the people of Indian States, etc. So, I think the word should de interpreted in a broad sense.

I have also suggested that besides pension they should also be given some other concessions. Many lost their property, their lands in the freedom movement. These must be restored to them. Similarly, many persons have daughters to marry; they must be given money and help to marry their daughters. They must also be given facilities for the education of their children. I have given all these on page 3 of my amendment and I hope the hon. Minister will go through them.

I had discussed this matter with Pondit Jawaharlal Ji in 1948. He used to say that the freedom fighter should not ask for recompense for the services rendered. True, it is a high motive. That is what impelled him to make the statment that he did. He was however not averse to give help to those persons who are in distress. I feel that the high motive which he put forth is quite

correct. I feel that they should not come and ask for it. But it is the debt of the nation; the nation has to discharge its debt to them. In China I found that they opened a university for all those people who fought for freedom. Small peasants and others who did not know anything got education and training for some years and got employment. Every country has helped its freedom fighters in some formor other. Here also you must help them because it is a debt you owe them. They have done a sacrifice and they should not demand any recompense for it. But the Government should not just ignore what they have done. To obtain certificates they have to go to the District Magistrates or SDO. They face a lot of difficulties.

The hon. Minister himself comes from a family of patriots and freedom fighters. His father was my leader. When the Simon Commission visited Lucknow his back bone was injured by police lathi charge and all his life thereafter he was an invalid. He spent a large number of years in prison. So, he has got full sympathy with the sentiments with which I have moved this Bill and I am sure he will interpret the provisions of my Bill and my amendments in the light in which they had been given. The statement which the Government has given is too bald. It should be improved and the scheme should be implemented.

For all these reasons I have no reason to press my Bill to a vote and so I am withdrawing it.

MR. CHAIRMAN : Shri Daga has moved an amendment for circulation of the Bill for eliciting public opinion by Ist March, 1972. He is not here now. That date is already over and we may extend this date to Ist July, 1972. I hope the House agrees with it. So, I shall put this amendment to vote : The question is :

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting public opinion thereon by the Ist July, 1972."

The motion was negatived.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That leave be granted to withdraw the Bill."

The motion was adopted.

PROF. S. L. SAKSENA : I withdraw the Bill.

17'51 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(AMENDMENT OF ARTICLE 141 AND INSERTION OF NEW ARTICLE 143A ETC. BY SHRI C. M. STEPHEN

SHRI C. M. STEPHEN (Muvattupuzha) I beg to move :

"That the Bill further to amend the Constitution of India be taken into consideration."

I submitted the draft of this Bill on the 23rd June, 1971, and it was introduced on the 5th August, 1971. Subsequent to the introduction of this Bill, the Twentyfourth Constitution Amendment Bill came in, and this House in a historic act accepted that Bill, and that has now become part of the Constitution of India. Part of the purpose of my Bill was to undo the mischief that was done by the judgement in the Golaknath case, and to invest in parliament its inherent authority to amend the Constitution of India. including fundamental rights, but that is not the sole purpose and intendment of my Bill. Clause 6 of the Bill is covered by the Twentyfourth Amendment Bill, but the other provisions of my Bill are not covered.

Under the Constitution, there are three authorities which are given the obligation and the right to Safeguard the Constitution and to implement the provisions of the Constitution. One is the legislature which has got to enact laws in accordance with the provisions of the Constitution; the other is the judiciary which has to interpret the laws in the light of the provisions of the Constit-